रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2015/माघ 15, 1936
No. 67] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2015/MAGHA 15, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फ़रवरी, 2015

सा.का.नि. 70(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"4. नई पेंशन स्कीम - (1) अध्यक्ष और सदस्य नई पेंशन स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए नई पेंशन स्कीम उस वेतन पर आधारित होगी जो सचिव भारत सरकार के लिए विहित है।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य आयोग में अपने द्वारा की गई सेवाओं के लिए अतिरिक्त पेंशन के हकदार नहीं होंगे।"।

[फा. सं. 5/5/2003-आईजीसी/सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 784(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 136(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009, सा.का.नि. 854(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2011 और सा.का.नि. 164(अ), तारीख 5 मार्च, 2014 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2015

G.S.R 70(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (1) of section 14 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, for rule 4, the following shall be substituted, namely: -

"4. New Pension Scheme. – (1) The Chairperson and other Members shall be governed by the provisions of the New Pension Scheme.

(2) The New Pension Scheme to the Chairperson and other Members shall be based on pay as prescribed for the Secretary to the Government of India.

(3) The Chairperson and the other Members shall not be entitled to additional pension and gratuity for the services rendered in the Commission."

[F. No. 5/5/2003-IGC/CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note. : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 784(E), dated the 6th October, 2003 and was subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 136(E), dated the 27th February, 2009, G.S.R. 854(E), dated the 1st December, 2011 and G.S.R. 164(E), dated the 5th March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.